" नारायण सेवास्थली "

का

संशोधित स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम:- इस संस्था का नाम " नारायण सेवास्थली " होगा ।

2. निबंधित कार्यालय:- इस संस्था का निबंधित कार्यालय मुहल्ला- मोती चौक, सरैया छित्तरी रोड, पो0+थाना- सरैया, जिला- मुजफ्फरपुर पिन कोड- 843126 (बिहार) में रहेगा । स्थान परिवर्तन की सूचना 15 दिन पूर्व निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना को दे दी जायेगी ।

3. कार्यक्षेत्र :- इस संस्था का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष रहेगा ।

4. उद्देश्य :-

क- हरिजन एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के विकास के लिए बालबाड़ी, पौष्टिक आहार, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि की व्यवस्था करवाना ।

ख- महिलाओं को विभिन्न उद्योग धंधो का प्रशिक्षण दिलवाकर प्रशिक्षण कर लाभान्वित करना जैसे - सिलाई, कढ़ाई, निटिंग, बुनाई, हाथ कशीदाकारी, गुड़िया बनाने का प्रशिक्षण, पेन्टिंग, छपाई, टाईराईटिंग, चर्म उद्योग बुक बाईडिंग आदि ।

ग- साधनहीन महिलाओं एवं बच्चों के लिए चिकित्सा संबंधी सुविधा प्रदान कराना जेसे मातृ शिशु कल्याण केन्द्र आदि ।

घ- सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं को ऋण एवं अनुदान दिलवाकर स्वनियोजित करवाना तथा उद्योग स्थापित करवाना ।

ङ- साधनहीन वृद्ध महिलाओं की सुरक्षा हेतु एजेडकेयर होम की स्थापना कराना एवं उसका संचालन करना ।

च- विधवा, परित्यक्ता, हरिजन एवं अनाथ महिलाओं तथा बच्चों के पुर्नवास हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र की व्यवस्था करना ।

छ- देवी प्रकोप तथा अन्य संकटकालीन अवस्थाओं में जैसे बाढ़, सुखा, भूकम्प आदि स्थितियों में सरकारी गैर सरकारी राष्ट्रीय अन्तराष्ट्रीय संगठन के माध्यम से आर्थिक सहायता प्राप्त कर लोगों को राहत पहूचाना ।

Rupak Kumar

Rupak Kumar
सचिव
नारायण सेवा स्थली
मोती चौक, सरैया (मुज0)
बिहार

Scanned with CamScanner

CamScanner

ज- मंद बुद्धि के बालकों एवं विकलांगों के कल्याणार्थ रचनात्मक एवं सुधारात्मक कार्य करना तथा संबंधित कार्य में सहयोग करना ।

झ- जनहित के लिए पुस्तकालय वाचनालय छात्रावास या आश्रम पद्धति की स्थापना करवाना और बनाने केलिए सरकार के सहयोग से रात्रि पाठशाला की व्यवस्था करना ।

ट- कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल एवं गृहहीन महिलाओं के लिए आवास की व्यवस्था कराना ।

ठ- संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जवाहर रोजगार योजना पंचायती राज, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड समाज कल्याण बोर्ड उद्योग विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा सरकारी एवं अर्द्धसरकारी, राष्ट्रीय अर्न्तराष्ट्रीय संगठनों तथा समाज सेवी व्यक्तियों से अनुदान चन्दा एवं दान प्राप्त कर कार्य करेगी ।

ड- अन्य वैधानिक कार्य जो संस्था हित में हो ।

ढ- समाज में व्याप्त निरक्षरता के उन्मूलन हेतु शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना । विभिन्न स्थानों पर और विभिन्न स्तरों की शिक्षण संस्थान का संचालन करना । मेधावी गरीब छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करना एवं उच्च शिक्षा ग्रहण करने में मदद करना तथा शिक्षण सामग्री वितरित करना ।

ण- संस्था द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु टंकण कला, आशुलिपि, कम्प्यूटर, इलेक्ट्रोनिक्स, तकनीकी, गैर तकनीकी एवं अन्य प्रकार के व्यवसायिक प्रशिक्षण देना एवं स्वावलम्बी बनने में मदद करना ।

त- लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना । परिवार कल्याण शिविर, टीकाकरण शिविर एवं अन्य स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करना । असाध्य रोग, एड्स, कैंसर, टी0बी0, कालाजार, हेपेटाईटिस आदि से बचने हेतु आवश्यक जानकारी देना एवं ग्रसित लोगों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना तथा स्वास्थ्य केन्द्र के साफ-सफाई एवं अन्य कार्यक्रमों का संचालन करना ।

Rupak Kumar

Rupak Kumar
सचिव
नारायण सेवा स्थली
मोती चौक, सरैया (मुज0)
बिहार

CamScanner

थ- पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यक्रमों का संचालन करना । ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान का संचालन करना । लोगों को स्वच्छ पेयजल, शौचालय आदि उपलब्ध कराना ।

द- राष्ट्रीय एकता, आपसी सद्‌भावना, धर्म निरपेक्षता के लिए लोगों को जागरूक करना जातीय भेद-भाव को समाप्त करने हेतु सभी प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन करना

ध- कृषि एवं बागवानी के विकास हेतु कृषकों को आधुनिक औजार, उन्नत बीज, उन्नत खाद, वर्मी कम्पोस्ट, सिंचाई के उपयुक्त साधन, जलछाजन, जलसंचयन, नलकूप, तालाब, पोखरा आदि उपलब्ध कराना । औषधीय पौधों के उत्पादन हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना । कृषक क्लब का संचालन करना ।

न- संस्था द्वारा (माइक्रोफिनाइन्स) अल्पावधि ऋण की व्यवस्था करना । संस्था द्वारा लोगों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगशाला, व्यायामशाला का संचालन करना ।

प- संस्था द्वारा वृद्धों, अनाथ बच्चों, विधवाओं, वेश्याओं, प्रताड़ित, परित्यक्ता, असहाय लोगों के लिए कल्याणकारी कार्यों का संचालन करना । उनके लिए आश्रय स्थल, भोजन, शिक्षा, चिकित्सा आदि उपलब्ध कराना । बाल-श्रमिकों के कल्याणार्थ कार्यक्रमों का संचालन करना उनके शिक्षा भोजन एवं पुनर्वास, सेवागृह की व्यवस्था करना । अस्पृश्यता निवारण हेतु व्यापक स्तर पर कार्य करना तथा आपदा के समय गरीबों में कम्बल एवं अन्य सामग्री वितरण करना ।

फ- संस्था द्वारा कला संस्कृति के विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना तथा विलुप्त हो रही कला संस्कृति के उत्थान हेतु कार्यक्रम आयोजन करना तथा कलाकारों को प्रोत्साहित करना ।

Rupak Kumar .... Rupak Kumar

सचिव
नारायण सेवा स्थली
मोती चौक, सरैया (मुज०)
बिहार

CamScanner

5. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/ पति का नाम, पता, पेशा एवं पद नीचे दिया गया है । वर्त्तमान के कार्यकारिणी समिति के सदस्य है, जिन पर संस्था के नियमानुसार प्रबंध का भार सौंपा गया है ।

क्र0	नाम, पिता/ पति का नाम	पता	पेशा	पद	ह
1	श्री शंकर चौधरी पिता- रूपलाल बैठा	ग्राम+पो0- बहिलवारा भुआल उत्तरी, बहिलवारा भुआल बहिल्वारा बहुल बहुल, मुजफ्फरपुर	समाज सेवा	अध्यक्ष	
2	श्री रूपक कुमार पिता- रामबाबू साह	बहिलवार भुआल बहिल्वारा बहुल मुजफ्फरपुर	समाज सेवा	सचिव	Rupak Kumar
3	श्री लाल बिहारी पासवान पिता- प्रमेश्वर पासवान	एस.डी.एफ.एन.जी.ओ. बलिवारा भुयाल बहिलवारा रूपनाथ मुजफ्फरपुर अनिरूद्धा बेल्सर	समाज सेवा	कोषाध्यक्ष	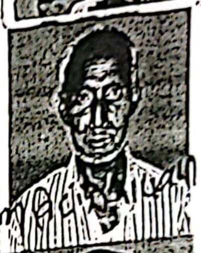
4	श्री विजय साह पिता- नकल साह	एस.डी.एफ.एन.जी.ओ. बहिलवारा रूपनाथ मुजफ्फरपुर	समाज सेवा	सदस्य	विजय साह
5	श्री रामलाल महतो पिता- वंशी महतो	ग्राम- बेल्वर पतेरही वेलवर अनिरूद्ध बेलवर जिला- वैशाली	समाज सेवा	सदस्य	
6	श्री सुवोध कुमार मांझी पिता- महेन्द्र सदा	वार्ड नं0-13 ग्राम- गढ़वा पो0-पचनौर थाना- वेलसंड गड़वा भादा जिला- सीतामढ़ी	समाज सेवा	सदस्य	सुवोधकुमार मांझी

Rupak Kumar

Rupak Kumar
सचिव
नारायण सेवा स्थली
मोती चौक, सरैया (मुज0)
बिहार

Scanned with CamScanner

CamScanner

7	श्रीमती कांति देवी पति-सुरेश पासवान	ग्राम- रामनगर चेक पोस्ट- बेलवर थाना- सरैया बहिलवारा भुआल जिला- मुजपफरपुर	समाज सेवा	सदस्य	
8	श्रीमती बेबी देवी पति- चन्दन पासवान	गांव- बहिलवारा भुआल उतरी, पोस्ट- बहिलवारा भुआल, बहिलवारा भुअल, मुजपफरपुर	समाज सेवा	सदस्य	
9	श्रीमती पुनम देवी पति- पंकज कुमार	बहिलवारा भुआल वहलवारा भुअल मुजफ्फरपुर ।	समाज सेवा	सदस्य	

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

प्रमाणित किया जाता है कि यह संशोधित स्मृति पत्र की सच्ची प्रति है ।

शंकर चौधरी
अध्यक्ष

लाल बिहारी पासवान
कोषाध्यक्ष

Rupak Kumar
सचिव

Rupak Kumar
सचिव
नारायण सेवा स्थली
मोती चौक, सरैया (मुज०)
बिहार

CS CamScanner

" नारायण सेवास्थली "

की

संशोधित नियमावली

1. **परिभाषा**

क- संस्था से अभिप्राय है :- " नारायण सेवास्थली "

ख- समिति से अभिप्राय है :- संस्था की कार्यकारिणी समिति ।

ग- पदाधिकारी से अभिप्राय है :- अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष ।

घ- वर्ष से अभिप्राय है :- 01ली अप्रील से 31 मार्च तक ।

ङ- एक्ट से अभिप्राय है :- सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 21, 1860

2. **सदस्यता**

प्रत्येक स्त्री एवं पुरूष जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक की हो, जो संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों का पालन करते हो वे इस संस्था का सदस्य बन सकते है । सदस्यता हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा । जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जायेगी । प्रत्येक सदस्य को 51/- (एकावन रूपये) प्रवेश शुल्क एवं 11/- (ग्यारह रूपये) मासिक सदस्यता शुल्क देना होगा ।

3. **सदस्यता से विमुक्ति -**

क- स्वयं त्याग पत्र देने पर ।

ख- पागल या मृत्यु होने पर ।

ग- सदस्यता शुल्क नहीं देने पर ।

घ- समिति द्वारा अविश्वास प्रस्वाव पारित होने पर ।

ङ- बिना कारण बताए समिति की लगातार तीन बैठ्कों में अनुपस्थित होने पर ।

4. **कार्यकारिणी समिति का गठ्न :-**

संस्था के संचालन के एक कार्यकारिणी समिति होगी, जिसमें पदाधिकारियों सहित 9 (नौ) सदस्य होंगे । समिति के सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों का चुनाव संस्था की आमसभा में होगी । समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा । निवृत्त सदस्य पुनः चुने जा सकते है । किसी कारणवश समिति किसी अन्य सदस्य को विधिवत मनोनित कर सकती है । जिसका वार्षिक बैठ्क में चुनाव करा लेना होगा. ।

Rupak Kumar

Rupak Kumar
सचिव
नारायण सेवा स्थली
मोती चौक, सरैया (मुज०)
बिहार

CamScanner

5 **समिति के अधिकार एवं कार्य -**

क- सदस्यता के लिए आवेदन पत्रों को स्वीकार या अस्वीकार करना ।

ख- संस्था की चल या अचल सम्पत्ति का उत्तरदायी होना ।

ग- संस्था के संचालन हेतु आवश्यक धन संग्रह करना ।

घ- वार्षिक बैठक में विवरण तैयार करना तथा आम सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना ।

ङ- संस्था के विरूद्ध आचरण करने वाले सदस्यों के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना ।

6. **पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य -**

अध्यक्ष -

क- प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना ।

ख- संस्था के कार्यो पर निगरानी रखना ।

ग- संस्था के उद्देश्यों के प्रतिकूल कार्यवाही को रोकना ।

घ- कर्मचारियों की नियुक्ति में सचिव को मदद देना ।

ङ- विशेष परिस्थिति में किसी विषय पर अपना निर्णायक मत देना ।

सचिव -

क- प्रत्येक बैठक का आयोजन करना ।

ख- संस्था के सभी एवं कागजातों को सुरक्षित रखना ।

ग- संस्था की ओर से पत्राचार करना ।

घ- बैठक के निर्णयों को कार्यान्वित करना ।

ङ- संस्था के सभी कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में अंकित करना ।

च- अध्यक्ष के निर्देशों का पालन करना तथा उनके सहयोग से कर्मचारियों की नियुक्ति करना ।

छ- आवश्यकतानुसार समिति की पुर्वानुमति के 500/- रूपये तक व्यय करना परन्तु समिति की आगामी बैठक में इसकी स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा ।

Rupak Kumar

Rupak Kumar
सचिव
नारायण सेवा स्थली
मोती चौक, सरैया (मुज०)
बिहार

CS CamScanner

कोषाध्यक्ष –

क– संस्था के आय-व्यय का लेखा रखना ।

ख– संस्था को प्राप्त होने वाली प्रत्येक रकम को पंजी में अंकित करना तथा उसकी रसीद देना ।

ग– संस्था के आय-व्यय का अंकेक्षण कराना ।

घ– आकस्मिक मद के अन्तर्गत मात्र 1000/– रूपये तक अपने पास रख सकेंगे परन्तु कोई भी व्यय सचिव के लिखित अनुमति से संभव होगी । जिसकी बाद में समिति की बैठक में स्वीकृति ले लेनी होगी ।

ङ– संस्था को प्राप्त राशि, संस्था के नाम पर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर में जमा करना होगा तथा आवश्यकतानुसार रकम की निकासी सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से संभव होगी ।

7. **आम सभा के अधिकार एवं कार्य :–**

क– समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों का चुनाव करना ।

ख– अंकेक्षक की नियुक्ति करना ।

ग– आय-व्यय लेखा पर विचार करना एवं सहमति प्रदान करना ।

घ– संस्था के उद्देश्य हित एवं उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहना ।

ङ– अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय वस्तु पर विचार करना ।

8. **बैठक –**

क– समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह पर होगी ।

ख– आम सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष मार्च माह में सम्पन्न की जायेगी

ग– अत्यावश्यक बैठक कभी भी बुलायी जा सकेगी परन्तु संबंधित सदस्यों को इसकी सूचना कम से कम तीनल दिन पूर्व अवश्य दे दी जायेगी ।

9. **प्रार्थित बैठक –**

एक तिहाई सदस्यों के लिखित मांग पर सचिव को मांग में लिखित विषयों के निर्णय हेतु बैठक बुलानी होगी । यदि सचिव एक माह के अन्दर बैठक नहीं बुलायेगे तो आवेदकों को अधिकार होगा कि वे उक्त अवधि के बाद मांग पत्र में वर्णित विषय के निर्णय हेतु बैठक का आयोजन कर सकते है किन्तु इसकी विधिवत सूचना सभी सदस्यों को दी जायेगी ।

Rupak Kumar

सचिव
नारायण सेवा स्थली
मोती चौक, सरैया (मुज०)
बिहार

Rupak Kumar

Scanned with CamScanner

10 **कोरम –**

किसी भी बैठक के लिए कोरम उसके कुल सदस्यों का एक तिहाई होगा। कोरम की पूर्ति नहीं होने पर बैठक स्थगित हो जायेगी । पूर्व निर्धारित विषयों पर ही विचार किया जायेगा ।

11. **बैठक की सूचना –**

सामान्य बैठक की सूचना कम से कम दस दिन पूर्व एवं विशेष अथवा आकस्मिक बैठक की सूचना 48 घंटे पूर्व दी जायेगी ।

12 **आय के श्रोत –**

क– प्रवेश शुल्क एवं सदस्यता शुल्क ।

ख– सरकारी अनुदान एवं ऋण ।

ग– विशेष शुल्क एवं चंदा ।

13 **निधि का अंकेक्षण –**

संस्था के आय–व्यय का लेखा समुचित रूप से रखा जायेगा तथा प्रतिवर्ष आम सभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से अंकेक्षित कराया जायेगा ।

निबंधन महानिरीक्षक अपने विवेक से जब भी चाहे संस्था का अंकेक्षण किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से करा सकते है । जिसका शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जाएगा ।

14 **पंजी का निरीक्षण –**

संस्था की सभी पंजियाँ निबंधित कार्यालय में रहेगी जहाँ कोई भी सदस्य सचिव की अनुमति से सदस्य पंजी, लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी का निरीक्षण कर सकते है ।

15 **नियमावली में संशोधन –**

नियमावली में कोई भी संशोधन आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव पर किया जायेगा ।

16 **कानूनी कार्रवाई –**

संस्था पर या संस्था के द्वारा कानूनी कार्रवाई सचिव के पदनाम से होगी तथा अधिवक्ता की नियुक्ति समिति की सलाह से की जायेगी ।

Rupak Kumar

Rupak Kumar
सचिव
नारायण सेवा स्थली
मोती चौक, सरैया (मुज०)
बिहार

17 **विघटन –**

क– अगर किसी कारणवश संस्था का विघटन करना पड़े तो आम सभा के कुल सदस्यों के 3/5 सदस्यों द्वारा किया जायेगा ।

ख– विघटन के पश्चात् कर्ज इत्यादि की अदायगी के बाद बचे हुए चल एवं अचल सम्पति सदस्यों के बीच नहीं बांटी जायेगी बल्कि समान उद्देश्य वाली दूसरी संस्था को या सरकार को आम सभा के 3/5 बहुमत द्वारा दे दी जायेगी ।

ग– संस्था का विघटन संस्था अधिनियम 21, 1860 के धारा– 13 के आलोक में सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जायेगा ।

....

प्रमाणित किया जाता है कि यह संशोधित नियमावली की सच्ची प्रति है ।

अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

Rupak Kumar
सचिव

Rupak Kumar
सचिव
नारायण सेवा स्थली
मोती चौक, सरैया (मुज०)
बिहार